BEFORE

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 496 of 2023

IN THE MATTER OF:

Satyendra Rawat

......Applicant

Versus

M/s Medical Pollution Control Committee & Ors.

.....Respondent(s)

REPLY ONBEHALF OF RESPONDENT NO.-7, REGIONAL OFFICER, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Dr. Vishwanath Sharma aged about 46 years S/o of late Dr. Manoranjan Sharma, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That the deponent is Regional Officer of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Agra and Respondent No.-7 in this O.A. and is well conversant with the facts and circumstances of the case and authorized to swear this affidavit.
2. That I have read the original application and have understood the same fully.
3. It is hereby submitted that the said Consent to Operate and Authorization has been issued by the Respondent No.-6 Shri Vivek Roy, Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow without inspection report /

recommendation of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra. The present affidavit is being filed limited to that ground replying Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to file detailed reply subsequently if so required.

4. That the State Pollution Control Board has issued a conditional No Objection Certificate to Respondent No.-1 vide its letter dated 05.03.2004, **(Annexure-1)**. Further, It was decided in the meeting held on 31.08.2004 of Monitoring Committee constituted by Hon'ble Supreme Court that the site of CBWTFs situated in Agra would be inspected by the members comprising the members of Monitoring committee and officials from Health Department, Municipal commissioner and U.P. Pollution Control Board. The inspection report of the M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was submitted by the committee members on dt. 28.01.2005 and on the recommendation of the committee a notice was issued by the Regional Officer, UPPCB, Agra vide letter No. 2324/AM-1216/05 dated 07.02.2005 **(Annexure-2)**.
5. That it is submitted that the site of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was inspected by the officials of the UPPCB on 16.05.2005 and on the recommendations of the Regional Office, UPPCB, Agra a Show Cause Notice was issued vide letter No. F48455/C-4/Bio Medical/Ms MPCC/73/2005 dated 07.07.2005 **(Annexure-3)** for the revocation of the Bio Medical Authorization granted vide letter No. F37600/C-4/Bio

Medical/ 19/2004 dated 15.10.2004 **(Annexure-4)** which was valid for a period of one year.

6. That it is submitted that the Bio Medical Waste Authorization granted to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra vide letter No. F37600/C-4/Bio Medical/19/2004 dated 15.10.2004 was revoked vide letter No. F50090/C-4/Ms MPCC/73/2005 dated 29.08.2005 **(Annexure-5)**.
7. That it is submitted that the M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra had submitted the Bio Medical Waste Authorization application on dt. 11.11.2011 and the site was inspected by the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra on 15.11.2011. During inspection no plant and machinery were found within the premises and on the basis of the recommendation of the Regional Office, the Bio Medical Waste Authorization was refused vide letter No. F97025/C-4/BMW-19/2011 dated 28.12.2011 **(Annexure-6)** and directions were issued to obtain Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board before starting the construction work at that site in future.
8. That it is submitted that the direction was again issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra to obtain Consent to Establish from U.P. Pollution Control Board vide letter No. F01526/C-4/BMW-19/12 dated 23.03.2012 **(Annexure-7)**.
9. That it is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District

Agra has filled the Authorization application on dt. 13.10.2016 and it was refused by U.P. Pollution Control Board vide letter No.F93830/C-4/BMW-19/16 dated 10.01.2017 **(Annexure-8)**. and was directed to comply with the previous directions issued vide letter No. F01526/C-4/BMW-19/12 dated 23.03.2012 for obtaining the Consent to Establish before the starting the construction work at that site in future.

10. That it is submitted that It was decided in the 46th meeting held on dt. 23.02.2019 of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority that a committee should be constituted under the Chairmanship of Vice Chairman, Agra Development Authority, Agra consisting CMO Agra, Officer Incharge CPCB and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra as members of the committee. The site was inspected by the committee on 16.05.2019 and during inspection it was found that the plant of M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra was completely closed and it was recommended by the committee that since Hon'ble Supreme Court in its order dated 22.03.2018 in Writ Petition (Civil no. 13381/1984 MC Mehta Vs Union of India and Ors.) has directed to maintain status quo, so no Authorization/ Clearance should be issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra **(Annexure-9)**.

11. That it is submitted that M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has filed an online consolidated Consent to operate and /

or Authorization application on dt. 29.05.2023 and the site inspection was done by the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Agra on dt. 07.06.2023 and during inspection it was found that the plant was not in operation and found in dilapidated state. The copy of inspection report dated 07.06.2023 is enclosed as **(Annexure-10)** to this reply and the copy of the refusal letter dated 13.07.2023 is contained as **(Annexure-11)** to the original application.

12. That it is submitted that the Ministry of Environment and Forest vide its notification No. S.O.1142(E) dated 17.04.2015 has included Bio Medical Treatment Facilities in schedule 7d of the notification no. S.O.1533(E) dated 14.09.2006 and as per this amendment it is essential to obtain Environment Clearances from SEIAA before establishing Bio Medical Treatment Facilities **(Annexure-12)**.

13. That it is submitted that Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 774/2022 Gaurav Garg Vs. Union of India and Ors. order dated 02.03.2023 has mentioned that;

.........57. The applicant has relied on letter dated 27.10.2017 sent by the MOEF&CC With reference to CPCB letter no F.No.B-31011/BWM(50)/ 2017WMD-I/629 dated 20.10.2017 clarifying the legal position regarding the queries mentioned therein and the relevant part thereof is reproduced as under:-

"x x x x

Subject: Amendment to the EIA notification, 2006 issues by MOEFCC vide S.O. No. 1142(E), dated 17.04.2015-regarding.

"x x x x

The clarification to the queries that whether EC is required in the following cases; may please be seen as below:

1. CBMWTF desires to replaces the existing incinerator and install new incinerator of same capacity.

Clarification: EC will be required, as there might be configuration changes that might impact the performance efficiency of the incinerator.

2. After installing new incinerator, the old incinerator is kept as standby and operated only in case there is any breakdown.

Clarification: Since capacity is increasing on installation of new incinerator, hence, EC is required.

3. CBMWTF increases its capacity only for disinfection by autoclaving/microwaving (but not incinerator);

Clarification: EC in this case can be applied under Clause 7(ii) of EIA Notification, 2006.

4. CBMWTF desires to enhance the existing capacity while up-grading the facility to comply with the stringent norms stipulated under BMWM Rules, 2016.

Clarification: EC is required, however, application under Clause 7(ii) may be acceptable."

In compliance with the above mentioned directions M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil Etmadpur, District Agra has not obtained Environment Clearances from the competent authority for any change / modification / up gradation of its plant.

14. That it is submitted that the online consolidated Consent to Operate and Authorization here in after referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Rule-6(2) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 notified under Environment (Protection) Act, 1986 was issued to M/s Medical Pollution Control Committee, Khasra No.-84, 85, Sewai, Tehsil

Etmadpur, District Agra vide letter No.189548/ UPPCB/Agra (UPPCBRO)/CTO/both/AGRA/2023 dt. 27/07/2023 by Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow without the recommendation of Regional Office, UPPCB, Agra.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

20/09/23

Deponent

A-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सन्दर्भ संख्या F-22552/सी-4/[illegible]/19/04 दिनांक 5-3-04

सेवा में

मे0
मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
२१, ई-ब्लाक, पनकी,
कानपुर।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु (कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी, आगरा)/~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/सामग्री के नवीनीकरण~~ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १३-१-२००४ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : खसरा नं०-८४,८५, ग्राम- सेवाई, तहसील- एत्मादपुर, जिला-आगरा

[illegible]

(ख) उत्पादन : [illegible] ४००० किग्रा/दिन [illegible]

(ग) मुख्य कच्चे माल : नर्सिंग होम तथा अस्पतालों से एकत्रित बायो मेडिकल वेस्ट

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : ५०० ली०/दिन

(ड.) प्रयुक्त ईंधन : एल०पी०जी०/सी०एन०जी० – ३०० किग्रा०/दिन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। ~~जल एवं वायु~~ सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

[illegible]

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ...५०४...ली०/दिन............ से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ...२४-३-२००४....... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७- भू-प्रयेग प्रमाण पत्र धारा -१४३ जेड०आर०एल०ए० के अन्तर्गत तीन माह के अन्दर प्रेषित करें।

८- उद्योग के चारों ओर हरित पट्टिका का निर्माण किया जाये एवं उसमें तेजी से उगने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाये।

९- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आप द्वारा स्वयं क्रय की जाने वाली भूमि पर स्थापित करने हेतु वैध है।

१०- क्रय की जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये।

११- जनित वेस्ट बैग्स में सेग्रिग्रेट किया जाना चाहिये।

१२- प्रत्येक दूसरे दिन वेस्ट उठाने का एग्रीमेन्ट किया जाये ताकि ४८ घन्टे से ज्यादा वेस्ट इकट्ठा न रहे। तथा 150 Km radius के अन्तर्गत का waste एकत्र किया जाये।

१३- नर्सिंग होम्स को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्राविधान किया जाये।

१४- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं बायोमेडिकल रूल्स के अनुसार अलग-अलग कैटेगरी का वेस्ट अलग-अलग ट्रीट करें।

१५- इन्सीनिरेटर में लगा स्क्रबर की स्टैक बोर्ड के मानकों के अनुरूप हो।

१६- डीजल गैस या एल०पी०जी० आधारित इन्सीनिरेटर (५०किग्रा०/घन्टा से ज्यादा क्षमता, [illegible] प्रस्तावित) स्थापित करें।

१७- निकलने वाले जल उत्प्रवाह के ट्रीटमेन्ट के पश्चात सोलर इवापोरेशन टैंक में एकत्रित करें इसे कही निस्तारित न करें।

१८- बाउड्रीवाल अवश्य बनवायें।

१९- नियमानुसार अथराईजेशन अवश्य लें।

२०- उद्योग का पर्यावरण वक्तव्य प्रत्येक वर्ष ३० सितम्बर तक बोर्ड में अवश्य जमा करें।

२१- Thermoclave, Shredder आदि [illegible] स्थापित [illegible], [illegible]।

२२- नगर निगम, आगरा तथा अन्य सम्बन्धित स्थानीय निकाय को इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करायी जाये एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनसे यदि कोई अनुमति प्राप्त करनी हो तो प्राप्त करें।

२३- वेस्ट को लाने हेतु बन्द वाहनों का प्रयेग करें।

२४- निकलने वाली गैस को शुद्धिकृत हेतु वेनचुरी स्क्रबर लगायें। जनरेटर सेट गैस या एल०पी०जी० से चलाया जाये।

२५-

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ...२४-३-२००४.......... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : [illegible]

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा

4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

A-2

505

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० १४, सेक्टर ३बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

A.M. 1216

संख्या : 2324 / ओ०जी० /०४. दिनांक : 7/2/05 Regd.

सेवा में,

मै०मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
ग्राम–सवाई, एत्मादपुर,
जनपद–आगरा।

विषय : बायोमेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स, १९९८ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ : मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 'अनुश्रवण समिति' की बैठक दिनांक ३१.०८.२००४ में लिये गये निर्णयों के क्रम में दिनांक २८.०१.२००५ में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी का संयुक्त निरीक्षण।

महोदय,

कृपया मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 'अनुश्रवण समिति' की बैठक दिनांक ३१.०८.२००४ में लिये गये निर्णयों के क्रम में दिनांक २८.०१.२००५ को सदस्य अनुश्रवण समिति, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रतिनिधि मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नगर आयुक्त आगरा द्वारा आपके कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी के किये गये संयुक्त निरीक्षण का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपका ध्यान निम्नवत् आकृष्ट किया जाता है –

१– निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय श्री मंगल सिंह, सुपरवाईजर तथा श्री शिवलाल, चौकीदार उपस्थित थे। कोई भी तकनीकी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इन्सीनिरेटर द्वारा आगरा के ६६ अस्पतालों / नर्सिंग होम्स से प्रतिदिन लगभग ५०० कि०ग्रा० बायोमेडिकल वेस्ट का एकत्रण कर कॉमन फेसिलिटी में उपचारित किया जाता है परन्तु यह पूछे जाने पर कि किस अस्पताल से कितना वेस्ट आ रहा है, के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी एवं इस आशय की कोई लॉगबुक भी नहीं दिखायी गयी।

२– फेसिलिटी में इन्सीनिरेटर में सलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल से ३० मीटर है। वायु प्रदूषण हेतु स्क्रबर स्थापित है। इन्सीनिरेटर का संचालन एल०पी०जी० से किया जाता है। इस हेतु एल०पी०जी० बैंक बनाया गया है। फेसिलिटी सेन्टर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इन्सीनिरेटर का संचालन लगभग २ घंटे शुरू किया जाता है। इन्सीनिरेटर की क्षमता ५० कि०ग्रा / घंटा बतायी गयी। फेसिलिटी में आटो क्लेव एवं श्रेडर स्थापित किया गया है जो निरीक्षण के समय बन्द पाये गये।

३– फेसिलिटी फैरोल्टी के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं किया गया है। १२.५ के०वी०ए० के डी०जी० सेट से विद्युत आपूर्ति की जाती है। स्थल टी०टी०जेड० में है। नियम विरुद्ध डी०जी० सैट स्थापित किया गया है।

..............२

४– परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट के एकत्रण हेतु खडे हुए वाहन में नम्बर प्लेट नहीं पायी गयी। बायोमेडीकल वेस्ट के ट्रान्सपोर्टेशन हेतु प्रयुक्त वाहन प्राविधानित मानको के अनुरूप नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान एक अन्य वाहन (बन्द ऑटो) से वायो मेडिकल वेस्ट फैसेलिटी में लाया गया। यह वाहन भी प्रावधानित मानको के अनुरूप नहीं था। जिसमें से वेस्ट/खून टपक रहा था। वेस्ट स्टोरेज कक्ष में समुचित हाउस कीपिग नहीं पायी गयी। इसमें काफी पुराना वायो मेडिकल वेस्ट पडा था एवं खून व गन्दगी लगभग २.० मि०मी० फर्श पर भरी हुयी थी ।

५– परिसर में सेक्योर्ड लैण्ड फिल हेतु चार पिट बनाये गये है जिसका फर्स कच्चा पाया गया। इन पिटो को केवल ईट से पक्का किया गया है न तो प्लास्टर है और न आर०सी०सी० द्वारा पक्का किया गया है। उक्त पिट में राख के साथ बोतल शीशी के टुकडे सीरीन्ज तथा प्लास्टिक प्रोडक्ट भी पाये गये जो नियम विरूद्ध है।

६– सी०पी०सी०बी० की गाइड लाइन्स तथा यू०पी०पी०सी०बी० द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो के अनुसार फैसेलिटी की स्थापना एक एकड़ भूमि में की जानी थी स्थल का क्षेत्रफल एक एकड से कम है ।

७– लिक्विड वेस्ट के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र बन्द पाया गया ।

उपरोक्तानुसार आपकी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी से उ०प्र०प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक ०५.०३.२००४ एवं संचालन हेतु निर्गत प्राधिकार दिनांक १५.१०.२००४ की शर्तो का संतोषजनक पालन नहीं पाया गया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि नोटिस प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर उपरोक्त बिन्दुओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्राधिकार की अनुपालन आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>प्रतिलिपि</u> :–

१. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
२. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता (वृत्त–४), उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
३. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
४. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. F-49455

/सी–४/ बायोमेडिकल / मै० एम०पी०सी०सी०/७३/२००५

दिनांक / Date ....

सेवा में,

पंजीकृत

मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर,
जिला आगरा।

यह कि मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा जो कि अस्पतालों, नर्सिंग होम्स आदि से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा १६ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यतः आपकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सामुहिक उपचार व्यवस्था मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत ट्रायल हेतु सशर्त १ वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र जारी (प्रदान) किया गया था।

यतः दिनांक १६.५.०५ को मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा का स्थल निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि :–

१. मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड से जो पत्र सं० एफ२८५५२/सी–४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक ५.३.०४ द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उसकी शर्त सं०–१० के अनुसार क्रय किये जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ७५० वर्ग०मी० क्षेत्रफल में उपरोक्त फेसिलिटी स्थापित की गई है जो मानक से अत्यन्त कम है। जिसमें वाहनों का सुरक्षित आवागमन भी सम्भव नहीं है। उक्त स्थल पर शर्त सं० – ८ के अनुरूप हरित पट्टिका का निर्माण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा पूर्व में बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया।

२. संस्था द्वारा इन्सीनिरेटर की क्षमता २०० किग्रा०/घंटा सूचित की गई है परन्तु वास्तविक क्षमता काफी कम प्रतीत होती है। इन्सीनिरेटर के मानक के अनुसार प्राइमरी चैम्बर में आटोमेटिक डबल डोर व्यवस्था के स्थान पर मैनुअल फीडिंग की व्यवस्था पाई

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ –226 010
दूरभाष : 2720831,2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

D:\documents\BMW\MPCC CBWTF REVOKE.doc

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

गई जिसके कारण फीडिंग के समय चैम्बर का तापमान कम हो जाता है तथा फीडिंग के समय काफी धुँआ निकलता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर में प्लास्टिक वेस्ट जलाया जाता पाया गया। इस संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। निरीक्षण के समय प्राइमरी चैम्बर का तापमान ७१३ डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया। जो मानको के सापेक्ष कम है।

३. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग, भण्डारण एवं पृथक्करण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं अपनाई गई है तथा उक्त अपशिष्ट को परिसर में लाने वाले वाहनों की धुलाई का कोई प्लेटफार्म नहीं पाया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भार मापन की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इसका समुचित रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर अपशिष्ट भी प्रचुर मात्रा में एकत्रित नहीं पाया गया। इन्सीनिरेटेड राख के भण्डारण हेतु ६'x ६' x १०' साइज के ४ पक्के पिट पाये गये जिनमें एक पिट में अल्प मात्रा में इन्सीनिरेटेड राख पायी गई। संस्था में प्लास्टिक व शार्प के एकत्रण, उपचार व निस्तारण का रिकार्ड नहीं पाया गया।

४. संस्था में इन्सीनिरेटर में अनवरत आटोमेटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था तथा थर्मोक्लेव पर आटोमेटिक रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इन्सीनिरेटर में मानक के अनुसार खुली जगह नहीं है। इन्सीनिरेटर के संचालन हेतु स्थापित एल०पी०जी० सप्लाई बैंक की क्षमता कम है तथा प्रेशर रेगुलेटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस की रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में १४ के०वी०ए० का डी०जी० सेट स्थापित पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाना बताया गया जो टी०टी०जेड में प्रतिबन्धित है। संस्था द्वारा एन०ओ०सी० में दी गई शर्त के अनुसार गैस जेनरेटर की स्थापना नहीं की गयी है।

५. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थली पर श्रेडर, थर्मोक्लेव, इन्सीनिरेटर, वेन्चुरी स्क्रबर व ३० मी० ऊँची चिमनी पाई गई। चिमनी में स्टैक मानीटरिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर की स्टैक मानिटरिंग नहीं की जा सकी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ईकाईयों में स्लज ड्राइंग बैड तथा आयल ग्रीस रिमूवल की व्यवस्था नहीं पाई गई। मंगलपुर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग १ कि०मी० की दूरी पर ग्राम रार्वोई स्थित है। स्थल से ५०० मी० की त्रिज्या में स्कूल, मन्दिर तथा शीतगृह स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर आस–पास के अनेक ग्रामीणों द्वारा जैविक अपशिष्ट को खुले में निस्तारण किये जाने व इन्सीनिरेटर के संचालन के समय बदबू की समस्या से अवगत कराया गया।

कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, रोवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक
एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट
(प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त
प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से क्यों न निरस्त कर दिया जाये।

उक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के ७ दिन के अन्दर उत्तर सुसंगत दस्तावेजों के
साथ प्रस्तुत/प्रेषित करें। यदि निर्धारित अवधि में कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं
होता है अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपकी सामुहिक उपचार व्यवस्था मै०
मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, रोवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा
को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/ बायोमेडिकल/१६/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा
जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(डा०सी०एस०भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

१. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

A-4

61.

510

Ref. No. F37Gm /C 4/Bio Medical/13/2004   Date 15-10-2004

To,

M/S Medical Pollution Control Committee.
Khasra No. 84, 85, Sevai, Teh.Etmadpur.
Dist. Agra

Sub: Authorization for operating facility for (Collection Reception, Storage, Treatment, Transport and Disposal of Bio-Medical Wastes) under the provisions of Bio-Medical Waste) Rules, 1998 Amended Rule- 2000.

Sir,

Please refer to your application dated 24.8.04. Your application has been examined and thorization is being issued subject as under:-

1. File number of authorization and date of issue.............................
2. M/S Medical Pollution Control Committee, Khasra No. 84, 85, Sevai, Teh.Etmadpur, Dist. Agra is here by granted an authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport and disposal of bio-medical waste in the promises situated at Khasra No. 84, 85, Sevai, Teh.Etmadpur, Dist. Agra.
3. This authorization shall be in force for a period of one year from the date of issue for trial operation.
4. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of Authorization

i) The authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection Act, 1986and the rules made there under.

ii) The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the prescribed authority.

iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without prior permission of the authority.

iv) Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

v) It is duty of the authorized person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility.

vi) Hospital waste various categories as mentioned in schedule-I. Of Bio-Medical Waste rule,1998 (as amended) shall be handled as per treatment and disposal facilities mentioned in said rules.

vii) Bio-Medical Wastes must be segregated as per schedule-II

viii) Schedule-IV (Rule-6) shall be fully complied.

ix) Annual report shall be submitted in form-II regularly.

x) Compliance report of NOC issued vide letter dated 5/3/2004, shall be submitted within a month of issue of this letter.

xi) Proof of the land purchased (copy of registry) clearly stating area etc. shall be submitted within three months.

xii) The authorized agency must ensure full compliance of prescribed standards for treatment and disposal.

511

68

xiii) Emission analysis report for incineration shall be sent within three months of issue of this letter.

xiv) Complete details of disposal of waste sharps / medicines must be sent separately. Rules

xv) All other solid and liquid wastes which are not covered under Bio-medical Wastes 1998 must also be properly handled and managed so that no adverse impact on the environment takes place.

xvi) Every year stack attached to incinerate shall be got monitored by Regional Office, Agra or an authorized lab approved by U.P.P.C.B.

xvii) Needle cutters shall be installed at all places segregated waste shall be treated in autoclave, shredder, chemical treatment and incinerate Air (Pollution Control System attached to incinerate shall be in working condition and be operated all the time).

xviii) Remaining works for secured land fill shall be completed immediately. Boundry/ fencing shall also be provided in the remaining part.

xix) Shed in which Incinerator and Thermoclave have been installed is quite small. Area of the Shed needs to be increased in due course if required.

xx) Temperature meters for primary and secondary chambers of incinerator needs replacement and calibration.

xxi) Complete details of the facility alongwith specification and capacity of incinerator, thermoclave etc. certified by manufacturer shall be submitted within a month of issue of this letter along with certificate of the manufacturer regarding performance of the equipment.

xxii) Automatic recording device to be installed for incinerator was reported to be under repair. It shall be installed immediately.

xxiii) Provision for graphic or computer recording devices, which will automatically and continuously monitor and record dates, time of day, load identification number and operating parameters throughout the entire length of autoclave/ thermoclave cycle shall be done within a month of issue of this letter.

xxiv) Validation test (spore testing and routine test for thermoclave shall be performed regularly. Details regarding this as adopted shall be sent within a month.

xxv) Although collection facility for needle / sharps is proposed to be provided, needle Shredder has not been installed and must be installed immediately.

xxvi) Manually operated Shredder for category 4 and 7 waste was although available at site but was not installed. Manually operated Shredder does not appear to be of adequate capacity and may not suffice. Electric motor operated shredder shall be installed immediately.

xxvii) Gas fired generator shall be installed immediately.

xxviii) Stack Monitoring Platform and Ladder are installed but for safe climbing ladder needs modification and size of monitoring platform needs to be increased. Same shall be done within a month of issue of this letter.

xxix) No untreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours after its generation. If for any reason it becomes necessary to store the waste beyond the prescribed period, permission as per provisions of the BMW rules must be obtained.

xxx) Treated waste shall be disposed off as per provisions of the BMW rules only.

xxxi) The list of members of CBMWF shall be sent to H.O. Lucknow and Agra every three months First list shall be sent within 15 days of start of facility.

Yours faithfully,

(Dr. C.S.Bhatt)
Member Secretary

Copy to Regional Officer, U.P.Pollution Control Board, Aligarh for information and necessary action.

Environmental Engineer(Circle-I)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No. F50090

9.19
2/9/05

दिनांक Date 29-8-05

/सी–४/ बायोमेडिकल / मै० एम०पी०सी०सी० / ७३ / २००५ दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा संख्या–८४.८५, सेवई, तह० एतमादपुर,
जिला आगरा(उ०प्र०) ।

यह कि मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा जो कि अस्पतालों, नर्सिंग होम्स आदि से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा १६ के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यतः आपकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सामुहिक उपचार व्यवस्था मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६०० / सी–४ / बायोमेडिकल / १६ / २००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत ट्रायल हेतु सशर्त १ वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र जारी (प्रदान) किया गया था।

यतः दिनांक १६.५.०५ को मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा का स्थल निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि :–

१. मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड से जो पत्र सं० एफ२८५५२ / सी–४ / बायोमेडिकल / १६ / २००४, दिनांक ५.३.०४ द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था उसकी शर्त सं०–१० के अनुसार क्रय किये जाने वाली भूमि एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिये थी किन्तु संस्था द्वारा मात्र ७५० वर्ग०मी० क्षेत्रफल में उपरोक्त फेसिलिटी स्थापित की गई है जो मानक से अत्यन्त कम है। जिसमें वाहनों का सुरक्षित अवागमन भी सम्भव नहीं है। उक्त स्थल पर शर्त सं० – ८ के अनुरूप हरित पट्टिका का निर्माण भी नहीं किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा पूर्व में बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया ।

२. संस्था द्वारा इन्सीनिरेटर की क्षमता २०० किग्रा० / घंटा सूचित की गई है परन्तु वास्तविक क्षमता काफी कम प्रतीत होती है। इन्सीनिरेटर के मानक के अनुसार प्राइमरी चैम्बर में आटोमेटिक डबल डोर व्यवस्था के स्थान पर मैनुअल फीडिंग की व्यवस्था पाई

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ -226 010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, B-Block, Vibhuti Khan
Gomti Nagar, Lucknow - 226 0
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 27206
Fax : 0522-27207
e-mail : info@uppcb.c
Web Site : www.uppcb.c

३. गई जिसके कारण फीडिंग के समय चैम्बर का तापमान कम हो जाता है तथा फीडिंग के समय काफी धुँआ निकलता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर में प्लास्टिक वेस्ट जलाया जाता पाया गया। इस संबंध में उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। निरीक्षण के समय प्राइमरी चैम्बर का तापमान ७१३ डिग्री सेन्टीग्रेट पाया गया। जो मानकों के सापेक्ष कम है।

४. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग, भण्डारण एवं पृथक्करण हेतु उद्योग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं अपनाई गई है तथा उक्त अपशिष्ट को परिसर में लाने वाले वाहनों की धुलाई का कोई प्लेटफार्म नहीं पाया गया। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भार मापन की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इसका समुचित रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर अपशिष्ट भी प्रचुर मात्रा में एकत्रित नहीं पाया गया। इन्सीनिरेटेड राख के भण्डारण हेतु ६'x ६' x १०' साइज के ४ पक्के पिट पाये गये जिनमें एक पिट में अल्प मात्रा में इन्सीनिरेटेड राख पायी गई। संस्था में प्लास्टिक व शार्प के एकत्रण, उपचार व निस्तारण का रिकार्ड नहीं पाया गया।

५. संस्था में इन्सीनिरेटर में अनवरत आटोमेटिक रिकार्डिंग की व्यवस्था तथा थर्मोक्लेव पर आटोमेटिक रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई तथा इन्सीनिरेटर में मानक के अनुसार खुली जगह नहीं है। इन्सीनिरेटर के संचालन हेतु स्थापित एल०पी०जी० सप्लाई बैंक की क्षमता कम है तथा प्रेशर रेगुलेटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस की रिकार्डिंग व्यवस्था नहीं पाई गई। विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में १५ के०वी०ए० का डी०जी० सेट स्थापित पाया गया जिसमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाना बताया गया जो टी०टी०जेड में प्रतिबन्धित है। संस्था द्वारा एन०ओ०सी० में दी गई शर्त के अनुसार गैस जेनरेटर की स्थापना नहीं की गयी है।

६. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु स्थली पर श्रेडर, थर्मोक्लेव, इन्सीनिरेटर, वेन्चुरी स्क्रबर व ३० मी० ऊँची चिमनी पाई गई। चिमनी में स्टैक मानीटरिंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निरीक्षण के समय इन्सीनिरेटर की स्टैक मानिटरिंग नहीं की जा सकी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु स्थापित ईकाईयों में स्लज ड्राइंग बैड तथा आयल ग्रीस रिमूवल की व्यवस्था नहीं पाई गई। मंगलपुर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग १ कि०मी० की दूरी पर ग्राम सवाँई स्थित है। स्थल से ५०० मी० की त्रिज्या में स्कूल, मन्दिर तथा शीतगृह स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर आस–पास के अनेक ग्रामीणों द्वारा जैविक अपशिष्ट को खुले में निस्तारण किये जाने व इन्सीनिरेटर के संचालन के समय बदबू की समस्या से अवगत कराया गया।

७. संस्था द्वारा बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्राधिकार की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यतः मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवाँई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हस्तन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन कर जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु सामुहिक उपचार व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट
(प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को
प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन
कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॉई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक
एफ३७६००/सी–४/वायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट
(प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तार्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त
प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के पूर्व बोर्ड के पत्रांक एफ
४८४५५/सी–४/वायो मेडिकल/मे०एम०पी०सी०सी०/७३/२००५ दिनांक ७.७.०५ द्वारा कारण
बताओं नोटिस निर्गत की गयी।

यतः कारण बताओं नोटिस दिनांक ७.७.०५ का उत्तार मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल
कमेटी द्वारा अपने पत्र दिनांक २१.७.०५ द्वारा प्रेषित किया गया परंतु उक्त उत्तर निम्नलिखित
कारणों से संतोषजनक नही पाया गयाः–

(I) एक एकड़ भूमि की रजिस्ट्री की प्रति अभी तक प्राप्त नही हुई है। दिनांक २५.७.०५
को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से किये गये निरीक्षण में भी ७५० वर्ग मी० क्षेत्रफल
में कामन फैसिलिटी की स्थापना पाई गई तथा यह पाया गया की हरित पट्टिका
के विकास हेतु वॉछित प्रयास नही किये गये है।मामूली वृक्षारोपण लगभग १५ पेड़
लगाये गये है।

(II) इन्सीनेटर की क्षमता के सत्यापन हेतु मैनयूफैक्चर का सर्टीफिकेट अभी तक नही
दिया गया है यद्यपि प्राधिकार की शर्त XXI में निर्देश दिये गये थे। दिनांक २५.७.
०५ को किये गये निरीक्षण में भी इन्सिनेटर की क्षमता कम प्रतीत होना कहा गया
है।आपका यह कहना उचित नही है कि सीपीसीबी गाइड लाइन में आटोमेटिक
फीडिंग डिवाइस एवं डबल डोर प्राईमरी चैम्बर(गाइड लाइन के अनुसार हाठ फ्लू
गैसेस के लीकेज व बैक फायर रोकने हेतु व्यवस्था अपेक्षित है) का प्राविधान नही
है। प्राइमरी चैम्बर का तापमान दिनांक १६.५.०५ को ७१३° से० व २५.७.०५ को
२३४° से पाया गया । दिनांक २५.७.०५ को सेकन्ड्री चैम्बर का तापमान भी १५२°
से० पाया गया जो बहुत कम है। प्लास्टिक वेस्ट को इन्सीनरेट करना आपने स्वयं
स्वीकार किया गया है।

(III) आप द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अनलोडिंग,भण्डारण एवं पृथक व्यवस्था तथा
भार मापन हेतु समुचित व्यवस्था होना बताया गया है जो उचित नही है। इंसिनेरटर
ऐश हेतु बनाये गये पिट मे राख के साथ शीशियॉं आदि दिनांक २५.७.०५ को किये
गये पुनः निरीक्षण में पाई गई तथा प्लास्टिक आदि वेस्ट के निस्तारण की भी
समुचित व्यवस्था नही पाई गयी।

(IV) दिनांक २५.७.०५ को पुनः निरीक्षण में आटो क्लेव व ब्यालर संचालन में नहीं पाये
गये तथा इनसिनिरेटर व थर्मो क्लेव पर अनवरत ऑटो मैटिक रिकार्डिंग की
व्यवस्था नहीं पायी गयी।गैस की खपत का विवरण मौके पर उपलब्ध नही कराया
जा सका । विधुत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ड्यूल फ्यूल पर आधारित १५
के०वी०ए० क्षमता का जनरेटर सेट स्थापित किया गया है। एल०पी०जी० के प्रयोग
हेतु जनरेटर के लिए सिलेण्डर बैंक की स्थापना नही की गयी है तथा अस्थायी
रूप से मात्र एक सिलेण्डर जनरेटर से कनैक्ट किया गया था।प्रयुक्त

ईधन(एल०पी०जी०) की खपत के संबंध में कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया।जनरेटर से सम्बद्ध एकजास्ट स्टैक की ऊँचाई मानकों के अनुरूप नहीं है।उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था का संदर्भित स्थल टी०टी०जेड०प्रतिबन्धित क्षेत्र में स्थित है।

(V) दिनांक २५.७.०५ को निरीक्षण में पुनः पाया गया कि चिमनी के साथ गैसीय उत्सर्जन के नमूना एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की स्थापना नही की गई है,अतः स्टैक मानीटरिंग नहीं की जा सकी। संस्था में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र में अन्य इकाइयों के साथ स्लज ड्राइंग बैड्स तथा ऑयल ग्रीस ट्रेप की व्यवस्था नही की गयी है।

आप द्वारा उत्तर में कहा गया है कि दिनांक ८.६.०५ को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण में सभी व्यवस्था ठीक पाई गई गलत है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक ८.६.०५ में अनेको कमियॉं पाई गई है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ने मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॅाई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा, के विरूद्ध बन्दी की कार्यवाही करने को कहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जन स्वास्थ्य के हित में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ यथासंशोधित नियम, २००० के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं व्यापक जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में मै० मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा संख्या–८४,८५, सेवॅाई, तह० एतमादपुर, जिला आगरा को बोर्ड के पत्रांक एफ३७६००/सी–४/बायोमेडिकल/१९/२००४, दिनांक १५.१०.०४ द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, १९९८ के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

१. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

सेवा में,

मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा नम्बर–84 एवं 85,
ग्राम–सवाई, एत्मादपुर
आगरा।

विषयः बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स, 2000 के अंतर्गत प्राधिकार आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्राधिकार आवेदन पत्र दि0–11.11.2011 का **संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके उद्योग** का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा **स्तर से दि0–15.11.2011 को किया** गया तथा पाया गया कि स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित है, **प्लाण्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं** हैं। आपके आवेदन पत्र में बायो–मेडिकल प्रोसेस यूनिट के **संचालन हेतु प्राधिकार की अनुमति** मांगी गई है। स्थल पर कोई भी मशीनरी बायो–मेडिकल **प्रोसेसिंग न होने के कारण प्रोसेसिंग यूनिट** को संचालन का प्राधिकार नहीं दिया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत **किया जाता है तथा निर्देशित किया** जाता है कि भविष्य में उद्योग पुनः उक्त स्थल पर स्थापना **संबंधी कार्य करना चाहता है तो** स्थापना के पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। **इस संबंध में उद्योग निर्धारित अनापत्ति** आवेदन प्रपत्र पर वांछित शुल्क एवं अन्य वांछित सूचनाओं **सहित राज्य बोर्ड को प्रेषित कर सकता है।**

भवदीय,

(डा0 सी0 बी0 भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं **आवश्यक** कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वृत्त अधिकारी, वृत्त–4

र्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा नं0–84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील–एत्मादपुर, पनद–आगरा की निरीक्षण आख्या के संबंध में।

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.11 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था तथा उद्योग स्थल पर केवल चार दीवारी स्थित पायी गई। उद्योग स्थल पर कोई भी प्लाण्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पाई गई।

2. पूर्व में खसरा नं0–84 एवं 85, ग्राम सवाई, तहसील–एत्मादपुर, जपनद–आगरा में कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी स्थापना हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एफ28552 / सी–4 / एन0ओ0सी0 / 19 / 04 दिनांक 05.03.2004 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पत्रांक एफ 37600 / सी–4 / बायोमेडिकल / 19 / 04 दिनांक 15.10.2004 के द्वारा एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार निर्गत किया गया था।

3. उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 48455 / सी–4 / बायोमेडिकल / मै0 एम0पी0सी0सी0 / 73 / 2005 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था तथा पत्रांक एफ 50090 / सी–4 / बायोमेडिकल / मै0 एम0पी0सी0सी0 / 73 / 2005 दिनांक 29.08.2005 के द्वारा मै0 मेडीकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक एफ 37600 / सी–4 / बायोमेडिकल / 19 / 04 दिनांक 15.10.2004 बोर्ड द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिए जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था।

निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुशील कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

(Nirupam Jasw...)

क्षेत्रीय अधिकारी

A-7

518

F-01526 23-372

सेवा में,

डा० विनय कुमार वर्मा,
सैक्रेटरी,
मै० मेडिकल पाल्यूशन कान्ट्रोल कमेटी,
२१, ई ब्लाक, पनकी,
कानपुर – २०८०२०

विषय : जनपद आगरा के ताज शहर में १०० प्रतिशत नानवर्न नवीनतम तकनीक आधारित सी०सी०डब्लू०टी०एफ० संबंधी प्राधिकार / आवेदन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनॉक–२३.०१.२०१२ का संदभ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा आपका ध्यान निम्नलिखित विन्दुओं पर आकृष्ट किया जाता है :–

आप द्वारा पुराने प्लाण्ट को रिप्लेस करते हुए नॉनबर्न टैक्नॉलाजी की स्थापना हेतुं इस कार्यालय में आवेदन प्रेषित किया गया है। इस कॉमन बायो–मेडिकल फैसिलिटी को पूर्व में बोर्ड द्वारा वर्ष, २००४ में सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। आप द्वारा पूर्व में अपने उपरोक्त स्थल पर प्राधिकार निर्गत किये जाने हेतु आवेदन किया था जिसे बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनॉक–२८.१२.२०११ के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था क्यों कि उस स्थल पर केवल चार दीवारी पायी गयी थी। अग्रेतर आपको यह भी निर्देश दिये गये थे कि आप अगर भविष्य में पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करवाना चाहते हैं तो राज्य बोर्ड से स्थापना से पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी परन्तु आप द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रेषित नही किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपके औद्योगिक संयंत्र मैसर्स मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, कानपुर को निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

१. उक्त प्रस्तावित सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था के पूर्व स्थापना (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) प्राप्त करे, उसके पश्चात् ही उद्योग में अग्रिम निर्माण करे तत्पश्चात् ही प्राधिकार निर्गमन पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी संभव होगी।
२. बोर्ड के पूर्व पत्र संख्या–एफ–६७०२५ / सी–४ / २०११, दिनॉक–२८.१२.२०११ के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

१. महानिदेशक, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. अध्यक्ष, ताज ट्रैपेजियम जोन प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा ।
३. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ ।
४. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित ।

सदस्य सचिव

D:\General.doc

A-8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या F13830 सी–4 / बायोमेडिकल वेस्ट–19 / 2016 पंजीकृत दिनांक 16-1-17

सेवा में,

मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
खसरा सं0–84 एवं 85, ग्राम–सवाई, एत्मादपुर,
आगरा।

विषयः–कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी (सी0बी0डब्ल्यू0टी0ए0) के संचालन के लिये प्राधिकार आवेदन के संबंध।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक–13.10.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी को स्थापनार्थ बोर्ड द्वारा वर्ष 2004 में सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। आप द्वारा पूर्व में उपरोक्त स्थल पर प्राधिकार निर्गत करने हेतु आवेदन किया था जिसे बोर्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक–28.12.2011 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था तथा निर्देशित किया गया था कि यदि आप भविष्य में पुनः उक्त स्थल पर स्थापना संबंधी कार्य करवाना चाहते हैं, तो राज्य बोर्ड से स्थापना पूर्व सहमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगा। आप द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक–28.12.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुकम में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। अग्रेत्तर बोर्ड के पत्र दिनांक–23.03.2012 के माध्यम से आपके औद्योगिक संयंत्र मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा सं0–84 एवं 85, ग्राम–सवाई, एत्मादपुर, आगरा को निर्देशित किया गया कि:–

1. उक्त प्रस्तावित सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था के पूर्व स्थापना (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करें, उसके पश्चात ही उद्योग में अग्रिम निर्माण करें तत्पश्चात ही प्राधिकार निर्गमन पर अग्रेतर कार्यवाही की जानी संभव होगी।
2. बोर्ड के पूर्व पत्र सं0–67025 / सी–4 / 2011, दिनांक–28.12.2011 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

आप द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में संस्थान का प्राधिकार आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

01/ASO

17/01/2017

भवदीय,

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

मूलप्रति पर नहीं।
प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 07 दिनो के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उक्त इकाई के आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या मुख्यालय क्यों नहीं प्रेषित की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4 के पत्र सं0 एफ 90595 / सी–4 / बी.एम.डब्ल्यू.–19 / 16 दिनांक–21.11.2016 द्वारा निर्देश दिये गये थे।

सदस्य सचिव

पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 0522– 2720831, 2720828, 2720691
फैक्स–0522–2720764
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

Picup Bhawan, 3rd Floor, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226016
Phone: 0522- 2720831, 2720691, 2720828
Fax: 0522-2720764
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

मै0मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा सं0 84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा के प्रकरण के परीक्षण हेतु गठित समिति की रिपोर्ट।

दिनांक 23.02.2019 को सम्पन्न "ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 46वीं बैठक में मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0 7 (23.02.2019) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं–

"....विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण का परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा सदस्य नामित किये जाते हैं। गठित कमेटी द्वारा परीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाये। समिति की रिपोर्ट सहित प्रकरण टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की उक्त बैठक के उपरोक्त निर्णयानुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 16.05.2019 को मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खसरा सं0–84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय प्लाण्ट पूर्णतया बन्द पाया गया है।
2. मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी के कोआर्डिनेट 27°15'27"N एवं 78°11'38" E हैं। पूर्व–दक्षिण दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10x10 की फीट मजार व एत्मादपुर बरहन लिंक रोड एवं स्थल से लगभग 140मी0 की दूरी पर एक 8x8 फीट के कक्ष में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति का मन्दिर एवं पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–रसूलपुर (आबादी लगभग 700) स्थित है। मजार के निकट के कोआर्डिनेट 27°15'26"N एवं 78°11'42" E हैं। दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर एक गैस गोदाम स्थापित है। दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400 मी0 की दूरी पर ग्लोबल एजूकेशनल एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैण्ट स्थापित है।
3. पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100 मी0 की दूरी पर एक गोदाम स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
4. उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 900 मी0 तक कृषि भूमि, तत्पश्चात् ग्राम–मंगलपुर (आबादी लगभग 400) स्थित है।
5. उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
6. दक्षिण दिशा में लगभग 125 मी0 की दूरी पर एस0के0 सुकन्या प्राईमरी स्कूल (प्राईवेट) एवं स्कूल से लगा हुआ जयबालाजी शीतगृह, (कोआर्डिनेट 27°15'23"N एवं 78°11'42"E) तत्पश्चात् लगभग 500 मी0 की दूरी पर ग्राम–संवाई (आबादी लगभग 3000) स्थित है।

समिति द्वारा पाया गया कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 822/2017 में मा0अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं–

....2

"On request of both the sides, this original application is being disposed of with the following directions:-

1. That respondent no.9- M/s.Medical Pollution Control Committee shall approach respondent no. 8 TTZ Authority, Agra and file an application for seeking their clearance in respect of project in question. The TTZ authority shall look into the application for clearance in accordance to law, but not later than one month from the receipt of the application.
2. On having obtained the clearance from TTZ Authority, Agra the respondent no.9 shall seek consent/authorization from UPPCB-respondent no.4.
3. The UPPCB is also to look into the status of another unit relating to bio medical waste treatment which was known as Dutt Enterprises and now it is been renamed as M/s JRR Enterprises.
4. In case M/s JRR Enterprises does not possess the requisite clearance/ approval from TTZ Authority and other authorities, then PCB shall immediately proceed against it in accordance to law.

Accordingly, original application No. 822 / 2017 is dispose of, with no order as to cost."

दिनांक 07.01.2015 को सम्पन्न 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 32वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बिन्दु सं0 3(1) के अन्तर्गत निम्नवत् निर्णय पारित किये गये हैं–

"समस्त सम्बन्धित विभाग यथा जिला उद्योग केन्द्र, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गेल गैस लि0 एवं अन्य को निर्देशित किया गया कि भविष्य में टी0टी0जैड0 अथॉरिटी की अनुमति के बिना ताज प्रतिबन्धित सीमा के अन्दर किसी नये वायु प्रदूषणकारी/गैस आधारित उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित/चालित उद्योगों की वर्तमान स्थापित क्षमता में विस्तारीकरण/स्थापना हेतु अनुमति/अनापत्ति नहीं दी जाएगी।"

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को Consent to Operate (C.T.O.) जारी नहीं की गयी है। सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा मै0 मेडिकल पॉल्युशन कन्ट्रोल कमेटी को पत्रांक–एफ28552/सी–4/एन.ओं.सी./19/04 दिनांक 05.03.2004 (संलग्नक–1) द्वारा Consent to Establish (C.T.E.) जारी की गयी है, जो 05 वर्ष के लिए वैध होती है, वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

वर्तमान में जनपद आगरा में जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा0लि0 प्लाण्ट संचालित है, जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to Operate (C.T.O.) प्राप्त है एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक–एच32298/बीएमडब्लू अथॉराईजेषन/19 दिनांक 05.02.2019 (संलग्नक–2) द्वारा अथॉराईजेशन जारी किया गया है, जो पांच वर्ष तक वैध है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में Common treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, Ewaste recycling, CBMWTF, effluent conveyance project, incinerator, solvent/ acid recovery plant, MSW sanitary land fill site) को लाल श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है।

.....3

सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2016 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सफेद श्रेणी के अतिरिक्त लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के संचालित उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नये उद्योगों के स्थापना पर अस्थाई प्रतिबंध लागू किया गया है। बैठक के बिन्दु सं0 (xi) के अन्तर्गत पारित निर्णय निम्नवत् उदधृत है–

> **"Ad-hoc moratorium on the expansion and setting up of new industry (except white category) to control air pollution by TTZA."**

मा0सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984–एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में आई0ए0 सं0 57183/2017 के अन्तर्गत मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.2018 को *Status quo* के आदेश पारित किये गये है, जो कि निम्नवत् उदधृत हैं–

> **"......It is stated by learned counsel for the State of Uttar Pradesh that the first draft of the vision document will take about four months. Until then, there will be a *status quo* in the Taj Trapezium Zone (TTZ).**

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों तथा परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा यह मत स्थिर किया गया कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2018 के अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में *Status quo* के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक दिनांक 08.09.2016 के निर्णयानुसार सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में तदर्थ रोक प्रभावी है, ऐसी स्थिति में मै0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को गाटा सं0 84 एवं 85, ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा पर बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लाण्ट के संचालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अनुमति/क्लियरेंस प्रदान किया जाना उचित नहीं है।

अतः टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.02.2019 में पारित निर्णयानुक्रम में समिति की संयुक्त आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में निर्णयार्थ प्रेषित है।

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

(विपुल कुमार सिंह)
वरि0वैज्ञा0सहा0
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा

(डा0 मुकेश वत्स)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
आगरा

(सुधीर सक्सेना)
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या–84 एवं 85 ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला आगरा की सहमति आवेदन पर निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक उक्त संदर्भित उद्योग के सहमति जल/वायु एवं हैजार्ड्स ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28.05.2023 पर स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 07.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के मुख्य गेट पर ताला बन्द पाया गया। स्थलीय निरीक्षण एवं कार्यालय अभिलेखानुसार पाये गये तथ्य निम्नवत् हैं–

1. सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 इकाई मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या–84 एवं 85 ग्राम–संवाई, एत्मादपुर–बरहन रोड़ पर स्थापित है। निरीक्षण के समय स्थल पर लिये गये अक्षांश व देशान्तर 27.25802 एवं 78.193848 नोट किये गये।
2. निरीक्षण के समय उद्योग बन्द एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया।
3. सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के चारों दिशाओं का विवरण निम्नवत् है:–
   (अ) पूर्व–दक्षिण दिशा में स्थल से लगभग 125 मीटर की दूरी पर 10X10 पीर बाबा की मजार (मजार के निकट के को आर्डिनेट 27°15'26" N एवं 78°11' 42" E) तथा एत्मादपुर बरहन लिंक रोड़ एवं स्थल से लगभग 140मी0 की दूरी पर हनुमान जी का मन्दिर स्थापित है।
   (ब) पूर्व दिशा में लगभग 1.0 कि0मी0 दूरी पर ग्राम–रसूलपुर (आबादी लगभग 1000) स्थित है।
   (स) दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 400मी0 की दूरी पर एक गैस गोदाम एवं ग्लोबल एजूकेशनल एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैण्ट स्थापित व संचालित है।
   (द) पश्चिम दिशा में स्थल से लगभग 100मी0 की दूरी पर एक नव निर्मित गोदाम स्थापित है व लगभग 1.5 कि0मी0 की दूरी तक कृषि भूमि स्थित है।
   (य) उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 900मी0 तक कृषि भूमि, तत्पश्चात ग्राम–मंगलपुर (आबादी लगभग 400) स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 1.5 कि0मी0 की तक कृषि भूमि स्थित है।
   (र) दक्षिण दिशा में लगभग 190मी0 की दूरी पर एस0के0 सुकन्या प्राइमरी स्कूल संचालित है एवं स्कूल से लगा हुआ जय बालाजी शीत गृह संचालित है, तत्पश्चात लगभग 500मी0 से 1000 मी0 की दूरी तक ग्राम–संवाई (आबादी लगभग 4000 से अधिक) स्थित है।
4. मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को उक्त फेसिलिटी स्थापित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एफ 28552/सी–4/एनओसी/19/04 दिनांक 05.03.2004 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।
5. इकाई को पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एफ 37600 दिनांक 15.10.2004 द्वारा बायोमेडिकल प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया था।
6. क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2475/एएम–1216/05 दिनांक 16.02.2005 द्वारा फेसिलिटी स्थापना हेतु निर्धारित भूखण्ड के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्राधिकार की शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजेमेण्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स, 1998 का उल्लंघन पाये जाने के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त प्राधिकार दिनांक 15.10.2004 को रिवोक किये जाने की संस्तुति की गई है। सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 द्वारा इकाई के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति(जल/वायु) प्राप्त नहीं की गई है।
7. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 एफ 48455/सी–4/बायोमेडिकल/एम0पी0 सी0सी0/73/ 2005 दिनांक 07.07.2005 द्वारा दिनांक 15.10.2004 द्वारा जारी बायोमेडिकल प्राधिकार पत्र एवं दिनांक 05.03.2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण उद्योग को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
8. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक सं0–एफ 50090/सी–4/बायोमेडिकल/एम0पी0सी0सी0 /73/2005 दिनांक 29.08.2005 द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत ट्रायल हेतु एक वर्ष के लिये जारी सशर्त प्राधिकार को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
9. सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 द्वारा पूर्व में किये गये जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार आवेदन दिनांक 28.12.2011 एवं 10.01.2017 को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया है।
10. कार्यालय द्वारा सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 के पूर्व में निरीक्षण दिनांक 15.11.2011 एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 97025/सी4/बायोमेडिकल वेस्ट–19/2011 दिनांक 28.12.2011 में उद्योग परिसर में प्लांट एवं मशीनरी स्थापित न होने का उल्लेख किया गया है।

कृ0पृ0उ0

11. राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक एच–04920/सी–4/बीएमडब्ल्यू–19/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 को बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर्यावरणीय तथा ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये अवैध रूप से नये सिरे से प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में तथा किसी भी दशा में अवैध एवं अनाधिकृत रूप से स्थापित फेसिलिटी का संचालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।
12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.03.2016 को जारी वर्गीकृत उद्योगों की सूची में सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 **रेड श्रेणी** के अन्तर्गत आच्छादित है तथा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
13. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (सि0) 13381/84 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य) की आई0ए0 संख्या–42482/2020 में दिनांक 08.12.2021 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:–

"This Interlocutory Application is filed for certain clarifications/modification of the Order dated 06.12.2019. By an Order dated 29.01.2021, 6 clarification sought in prayer clauses (a),(b) and (c) were made by this Court. In respect of the clarification of the Order dated 06.12.2019 pertaining to the concurrence with the Central Empowered Committee (CEC) and opinion of NEERI as mentioned in paras 8 and 9 of the Order, learned Amicus Curiae in consultation with Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Solicitor General appearing for the State of Uttar Pradesh submitted a note. ***It has been agreed that a representative of NEERI shall be included as a Member in the Environmental Appraisal Committee (EAC) and State Environmental Appraisal Committee (SEAC) constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for dealing with industrial units falling in TTZ Area.***

In respect of industrial units where the Air Pollution Score as per CPCB and UPPCB is between 11 to 20, sectorial guidelines shall be obtained from NEERI. No industrial units shall be cleared by the State till sectorial guidelines are obtained from NEERI. For those industrial units having Air Pollution more than 20, the concurrence/opinion of NEERI will have to be obtained.

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मै0 मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, गाटा संख्या–84 एवं 85 ग्राम–संवाई, तहसील–एत्मादपुर, जिला आगरा को वर्तमान स्थल पर बिना पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त किये सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 को संचालनार्थ सहमति जल/वायु/हैजार्ड्स प्राधिकार आवेदन पत्र पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं

07/06/23
(अमरेन्द्र सिंह)
वैज्ञा0सहा0

07/6/23
(क्षितीश पटेल)
सहा0 वैज्ञा0 अधि0

क्षेत्रीय अधिकारी/मु0पर्या0 अधि0 (वृत्त–4)

7/6/23

A- 11

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD **525**

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 184908/UPPCB/Agra(UPPCBRO)/CTO/both/AGRA/2023 **Dated : 13/07/2023**

To ,

M/S Pankaj Agrwal
MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE
Plot No. 84-85, Sawai
AGRA

Sub : Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 29/05/2023 and received on 29/05/2023under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 05/07/2023 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

1- The site of the plant was inspected by the Officers of the UPPCB Agra and as per the inspection report the plant was not in operation and found in depleted state.
2- The CBWTF unit was directed to obtain the CTE before establishing the plant and machinery at the site vide Board letter no. H-04920/C-4/BMW-19/2017 dated 27.06.2017.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

PRADEEP SHARMA

Digitally signed by PRADEEP SHARMA
Date: 2023.07.13 11:08:06 +05'30'

526

(Authorized Signatory)

Pradeep Sharma
CEO-4

Copy To -

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Agra

PRADEEP SHARMA

Digitally signed by PRADEEP SHARMA
Date: 2023.07.13 11:07:18 +05'30'

Pradeep Sharma
CEO-4
(Authorized Signatory)

UPPCB

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

LiFE Lifestyle for Environment

- **स्वच्छता** – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- **संकल्प लें** -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग **न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों** जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग **करने मात्र से 375 मिलियन टन** ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था** (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ **रुपये की अतिरिक्त बचत** उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- **अनुपयोगी इलेक्ट्रिक** / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे **प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें** | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को **देने मात्र से 0.75 मिलियन टन** तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय **दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है**
- **बाहर जाते समय** - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या **व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए** पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन **को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन** पर विचार करें
- **घरेलू स्तर पर कम से कम** ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- **उपयोगी शेष खाद्य सामग्री** आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता **से समाज के वंचित वर्ग तक** पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन **भोजन** को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- **ध्यान रखें** - **उपयुक्त नल** और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया **जा सकता है। एवं उपयोग में न होने** पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- **ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग** पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक **ऊर्जा की बचत हो सकती है**
- **परम्परागत बल्ब** के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग **में न होने पर बिजली उपकरणों** को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 887] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015/VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1142(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से छूट के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(घ)(क)	जैव-चिकित्सा (बायो-मैडिकल) अपशिष्ट उपचार सुविधाएं		सभी परियोजनाएं	

[फा.सं.3-9/2014-आईए.III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं.का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :--

1. का.आ.1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ.695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ.2893(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;

529

5. का.आ.674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ.2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ.2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
8. का.आ.562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ.637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ.2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
12. का.आ.3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
13. का.आ.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
14. का.आ.811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; और
15. का.आ.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 I

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

S.O.1142(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after item 7(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities.	-	All projects	-

[F. No. 3-9/2014-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E) dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E) dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E) dated the 28th February, 2014
10. S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014
12. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
13. S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015
14. S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015
15. S.O. 996(E) dated 10th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.